न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रीति मीणा (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 563/2025

निर्णय दिनांकः– 15.12.2025

उनवान

1. विनोद देवी पत्नी केदार लाल जाति ढोली निवासी ग्राम रणछोड जी के मंदिर के पास दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

.......प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

उपस्थित :–

1. श्री कौशल किशोर जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 5708/4590 रकबा 0.7588 हेक्टेयर वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीया बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थीया की उक्त भूमि पर आने जाने एवं कृषि प्रयोजन से हल–बैल–कूली, गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रॉली व कृषि के काम में आने वाले अन्य सामान ले जाने के लिये ख0नं0 4614 गै0मु0 रास्ता से होते हुए ख0नं0 5660/4615 चरागाह भूमि पर से अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते है। प्रार्थीगण के आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक एवं रिकॉर्डेड सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को काश्त जोत करने का कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है और न ही वैकल्पिक तौर पर कोई अन्य रास्ते की व्यवस्था है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 5660/4615 चरागाह में से प्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के तहत कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 5708/4590 रकबा 0.7588 हेक्टेयर खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में आने जाने हेतु खसरा नंबर 5660/4615 में से 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार निवाई ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./17654 दिनांक 01.12.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा नंबर 5708/4590 पर पहुंचने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आवेदक के नजदीक से चरागाह भूमि है जिसमें से रास्ता प्रस्तावित किया गया है एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक की खातेदारी भूमि जो चरागाह से लगती हुई है को प्रस्तावित किया गया है। आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई के वादग्रस्त खसरा नंबरान की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की गई।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर पाया कि प्रार्थीया ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई के वादग्रस्त आराजियात में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा तहसीलदार निवाई द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक भू.अ./17654 दिनांक 01.12.2025 में प्रार्थीया को रास्ता दिए जाने की स्पष्ट अभिशंषा करते हुए रास्ता दिये जाने के कथन किए हैं एवं रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी की आराजियात मे आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई के खसरा नम्बर 5660/4615 चरागाह में से 83 मीटर लम्बा व 9.144 मीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी में पहुंचने तक का रास्ता रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबे की तहसीलदार निवाई द्वारा गणना की जाकर रास्ते के रुप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा रास्ते के रुप में अंकित किये जाने वाले भूमि के बराबर की भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में से कम की जाकर चरागाह भूमि अंकित की जावे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

(प्रीति मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी निवाई